बिहार सरकार,
कृषि विभाग

पत्रांक– पी0पी0एम0–17/2016 3147 /कृ0, पटना दिनांक 4/8/ 2017

प्रेषक,

सुधीर कुमार,
प्रधान सचिव,
कृषि विभाग, बिहार, पटना।

सेवा में,

महालेखाकार, बिहार,
बीरचन्द पटेल पथ, पटना।

अनौपचारिक रूप से परामर्शित #द्वारा – वित्त विभाग।

विषय – **भूमि एवं जल संरक्षण से सम्बंधित योजना के कार्यान्वयन एवं जी0पी0एस0 डिवाईस के क्रय हेतु वित्तीय वर्ष 2017–18 में 2990.43 लाख (उनतीस करोड़ नब्बे लाख तैतालीस हजार) रु0 की राज्य स्कीम स्वीकृति।**

आदेश : **स्वीकृत।**

भूमि एवं जल संरक्षण से सम्बंधित योजना के कार्यान्वयन एवं जी0पी0एस0 डिवाईस के क्रय हेतु वित्तीय वर्ष 2017–18 में 2990.43 लाख (उनतीस करोड़ नब्बे लाख तैतालीस हजार) रु0 की राज्य स्कीम स्वीकृति प्रदान की जाती है।

2. योजना का क्रियान्वयन वित्तीय वर्ष 2017–18 में किया जायेगा। योजना का भौतिक आकार यथा –208 पक्का चेक डैम, 346 साद अवरोधक बांध का निर्माण, 430 यूनिट आहर की गरम्मति, 783 हेक्टेयर मेड बन्दी, 164 यूनिट में स्ट्रैगंड ट्रेंचिंग का कार्य एवं 242.00 हेक्टेयर में शुष्क बागवानी के तहत पौधारोपण का कार्य सम्पन्न होगा (जिलावार कार्य की अनुसूची–1 स्लग्न)। योजना कार्य पर होने वाला कुल व्यय 2998.35 लाख रुपये है जिसमें से निजी भूमि पर होने वाले कार्य जैसे स्ट्रैगर्ड ट्रेंचिंग, फार्म बंडिंग एवं पौधारोपण कार्य पर होने वाले कुल व्यय का 10 प्रतिशत (29.92 लाख रु0) लाभुक कृषक के द्वारा अंशदान के रुप में दिया जायेगा।

3. भूमि एवं जल संरक्षण से सम्बंधित संरचनाओं का निर्माण, पौधारोपण का कार्य, जल संभरण संरचना निर्माण एवं भूमि संरक्षण निदेशालय, बिहार पटना की योजना से सम्बंधित सभी जिले को तकनीकी रुप से सदृढ करने के उद्देश्य से जी0पी0एस0 का क्रय एवं उसका उपयोग किया जायेगा। योजना का कार्यान्वयन अनुदेश अनुसूची–2 संलग्न।

4. इस योजना का कार्यान्वयन दक्षिण बिहार के सभी 17 जिले में किया जायेगा। राज्य के 14 जिले में प्रधानमंत्री कृषि सिचाई योजना– जलछाजन विकास का कार्यान्वयन किया जा रहा है, जिसमें से 8 (आठ) जिले यथा– बांका, मुगेर, जमुई, नवादा, गया, औरंगाबाद, रोहतास एवं कैमूर मे परियोजना कार्य चरण (Work Phase) में है। अन्य 6 (छः) जिले यथा– लखीसराय, शेखपूरा, नालंदा, पटना, जहानाबाद एवं अरवल मे योजना का आरंभिक चरण (Priliminary Phase) में है। अतएव प्रधानमंत्री कृषि सिचाई योजना– जलछाजन विकास अन्तर्गत वैसे जिले जहॉ परियोजना कार्य चरण में है को संतृप्त (saturate) करने के उद्देश्य से प्रस्तावित राज्य योजना 2017–18 का कार्य अभिसरण (Convergence) के रुप में किया जायेगा।

5. मृदा एवं जल संरक्षण कार्यक्रम में विभिन्न एजेंसियों / विभागों द्वारा पूर्व में किये गये कार्य तथा वर्तमान में प्रस्तावित कार्यक्रमों / कार्यमदों में डुप्लीकेसी की संभावना को समाप्त करने के लिए मुख्य रुप से योजना क्षेत्र का अक्षांश–देशान्तर लिया जायेगा एवं संबंधित विभागों को योजना की पूर्ण सूची उपलब्ध कराई जायेगी।

6. डुप्लीकेशी की संभावना को समाप्त करने हेतु कार्यान्वयन से पूर्व डी0पी0आर0 में निम्न प्रतिवेदन शामिल किया जाय,

वाटरसेड सं0	कुल संरचना प्रस्तावित		अब तक पूर्ण		शेष		वर्ष 2017–18 का कार्यक्रम	
	राज्य स्कीम	केन्द्रीय स्कीम	केन्द्रीय स्कीम	राज्य स्कीम	केन्द्रीय स्कीम	राज्य स्कीम	केन्द्रीय स्कीम	राज्य स्कीम

7. योजनान्तर्गत बजट शीर्ष एवं उपबंधित राशि निम्न प्रकार है, (राशि लाख रूपये में)

बजट शीर्ष	**उपबंधित राशि**	**स्वीकृत राशि**
मुख्य शीर्ष 2402–मृदा तथा जल संरक्षण, उपमुख्य शीर्ष–00, लघु शीर्ष– 102 मृदा संरक्षण, मॉग संख्या–1, उपशीर्ष–0112–भूमि संरक्षण कार्य, विपत्र कोड–01–2402001020112 विषय शीर्ष 0112.31.06 सहायक अनुदान–गैर वेतन	2490.00	2482.06
मुख्य शीर्ष 2402–मृदा तथा जल संरक्षण, उपमुख्य शीर्ष–00, लघु शीर्ष– 789 अनुसूचित जातियों के लिए विशेष धटक योजना, मॉग संख्या–1, उपशीर्ष–0101–भूमि संरक्षण कार्य, विपत्र कोड– 01–2402007890101, विषय शीर्ष 0101.31.06 सहायक अनुदान–गैर वेतन	480.00	478.47
मुख्य शीर्ष 2402–मृदा तथा जल संरक्षण, उपमुख्य शीर्ष–00, लघु शीर्ष– 796 जनजातीय क्षेत्र उप योजना, मॉग संख्या–1, उपशीर्ष– 0108–भूमि संरक्षण कार्य विपत्र कोड– 01–2402007960108, विषय शीर्ष 0108.31.06 सहायक अनुदान–गैर वेतन	30.00	29.90
कुल	**3000.00**	**2990.43**

8. भूमि संरक्षण निदेशालय, बिहार, पटना के निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी द्वारा राशि की निकासी विपत्र बी0टी0सी0 फार्म 46 में उपस्थापित किया जायेगा। उक्त राशि को अंतर विभागीय अंतरण जमा के माध्यम से बिहार वाटरशेड डेवलपमेंट सोसाईटी, पटना के पी0एल0 खाता संख्या PLA-265 में अंतरित की जायेगी। सोसाईटी द्वारा निदेशक, भूमि संरक्षण, बिहार, पटना के परामर्श से संबंधित जिलों के कार्यान्वयन एजेंसी सहायक निदेशक (शष्य) भूमि संरक्षण को राशि उपलब्ध करायी जायेगी एवं इसकी सूचना सम्बंधित जिला के उप निदेशक (कृषि अभियंत्रण) भूमि संरक्षण को दी जायेगी। सोसाईटी तथा कार्यान्वयन एजेंसी के स्तर पर योजना का अलग से बैंक खाता तथा लेखा का संधारण किया जायेगा।

9. वित्त विभाग की अधिसूचना संख्या 3758 दिनांक 31.05.2017 में निहित प्रावधान के आलोक में उक्त योजना के कार्यान्वयन में विभागीय स्थायी वित्त समिति की स्वीकृति दिनांक 03.07.2017 को प्राप्त है। तत्संबंधी स्वीकृति संचिका संख्या– पी0पी0एम0–17 / 2016 के पृ0सं0–240 / प0 पर प्राप्त है।

10. वित्त विभागीय परिपत्र संख्या–7355 वि0 (2) दिनांक 05.10.2007 के आलोक में महालेखाकार, बिहार, पटना से प्राधिकार पत्र की आवश्यकता नही है।

रवि E:\ABHINAV\2017-18\Soil Conservation.docx

11. राज्यादेश में माननीय मंत्री, कृषि का अनुमोदन पृष्ठ–45 / टि0 पर दिनांक 14.07.2017 एवं माननीय मंत्री, वित्त का अनुमोदन 49 / टि0 पर दिनांक 20.07.2017 को प्राप्त है।

12. राज्यादेश में आंतरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति संचिका संख्या– पी0पी0एम0–17 / 2016 के पृ0सं0– 53 / टि0 पर दिनांक– 03.08.2017 को प्राप्त है।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,

4.8.2017

(सुधीर कुमार)
प्रधान सचिव,
कृषि विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांक – पी0पी0एम0–17 / 2016 3147 / कृ0, पटना, दिनांक 4/8/ 2017

प्रतिलिपि : प्रभारी पदाधिकारी, अंकेक्षण, महालेखाकार (ले० एवं ह०) कार्यालय, वीरचन्द पटेल पथ, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

4.8.2017

प्रधान सचिव,
कृषि विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांक – पी0पी0एम0–17 / 2016 3147 / कृ0, पटना, दिनांक 4/8/ 2017

प्रतिलिपि : योजना एवं विकास विभाग / वित्त विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

4.8.2017

प्रधान सचिव,
कृषि विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांक – पी0पी0एम0–17 / 2016 3147 / कृ0, पटना, दिनांक 4/8/ 2017

प्रतिलिपिः– सभी कोषागार पदाधिकारी, बिहार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

4.8.2017

प्रधान सचिव,
कृषि विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांक – पी0पी0एम0–17 / 2016 3147 / कृ0, पटना, दिनांक 4/8/ 2017

प्रतिलिपि– माननीय कृषि मंत्री के आप्त सचिव / कृषि उत्पादन आयुक्त के आप्त सचिव, बिहार, पटना / प्रधान सचिव, कृषि के आप्त सचिव / कृषि निदेशक, बिहार, पटना / निदेशक, उद्यान, बिहार, पटना / निदेशक, भूमि संरक्षण, बिहार, पटना / निदेशक, पी0पी0एम0, कृषि विभाग, बिहार, पटना / सभी प्रमंडलीय संयुक्त कृषि निदेशक / संबंधित उप कृषि निदेशक / सभी जिला कृषि पदाधिकारी / सभी अनुमंडल कृषि पदाधिकारी / मुख्यालय स्थित सभी संबंधित पदाधिकारीगण / बजट एवं योजना शाखा (सचिवालय एवं निदेशालय) कृषि विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु तथा उप कृषि निदेशक (सूचना), बिहार, पटना को विभाग के बेवसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

4.8.2017

प्रधान सचिव,
कृषि विभाग, बिहार, पटना।

E:\ABHINAV\2017-18\Soil Conservation.docx